छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय
//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक / /2012

कमांक एफ 10–12/2012/16:–''भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 275(1) में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :–

''प्रत्येक नियोजक किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर, ऐसे प्रारंभ से तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी (समस्त सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम पदाधिकारी) को प्रारूप पैंतीस में एक प्रारंभिक विवरणी भेजेगा ।''

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

रायपुर दिनांक 3 /7/2012

पृष्ठांकन क. एफ 10–12/2012/16
प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग,मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ.ग.)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी /सहायक श्रम पदाधिकारी.........................(छ.ग.)
8. उपसंचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ.ग.)
9. उपसंचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग